



भारत का राजपत्र The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

साप्ताहिक

WEEKLY

सं. 31]

नई दिल्ली, अगस्त 6—अगस्त 12, 2017, शनिवार/श्रावण 15— श्रावण 21, 1939

No. 31]

NEW DELHI, AUGUST 6—AUGUST 12, 2017, SATURDAY/SRAVANA 15— SRAVANA 21, 1939

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह पृथक संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय अधिकारियों (संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा विधि के अंतर्गत बनाए गए और जारी किए गए साधारण सांविधिक नियम (जिनमें साधारण प्रकार के आदेश, उप-नियम आदि सम्मिलित हैं)

General Statutory Rules (Including Orders, Bye-laws etc. of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories)

गृह मंत्रालय

नई दिल्ली, 3 अगस्त, 2017

सा.का.नि. 247.—केंद्रीय सरकार, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल अधिनियम, 1949, (1949 का 66) की धारा 18 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए गृह मंत्रालय, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल में उप-कमांडेंट (अनुसचिवीय) तथा सहायक कमांडेंट (अनुसचिवीय) के पदों की भर्ती पद्धति को विनियमित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.—

- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल, उप-कमांडेंट (अनुसचिवीय) तथा सहायक कमांडेंट (अनुसचिवीय) पद भर्ती नियम, 2017 है।
- (2) ये, राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. **पद - संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर.**—पदों की संख्या, उसका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर वह होगा, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

3 **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं आदि.**—उक्त पदों पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे सम्बंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. **निरर्हता.**—वह व्यक्ति. -

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, से विवाह किया है; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पद पर नियुक्त का पात्र नहीं होगा:

परन्तु यदि केंद्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह उस व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. **चिकित्सक दृष्टया योग्यता.**—इन नियमों में किसी बात के होते हुए भी केवल वे व्यक्ति जो चिकित्सा श्रेणी शेष-1 में हैं, वे इन नियमों के उपबंधों के अधीन नियुक्ति के पात्र होंगे।

6. **शिथिल करने की शक्ति.**—जहां केंद्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समाचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी भी उपबन्ध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों के संबंध में, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

7. **व्यावृत्ति.**—इन नियमों की कोई भी बात ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केंद्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निर्गत आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपलब्ध कराना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	क्या चयन अथवा अचयन पद हैं	सीधी भर्ती के लिए आयु-सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
उप कमांडेंट (अनुसचिवीय)।	48* (2017) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केंद्रीय सेवा समूह 'क' राजपत्रित अनुसचिवीय योद्धक।	स्तर - 11 (रु. 67700-208700)	चयन	लागू नहीं होता।

सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों हेतु अपेक्षित शैक्षणिक और अन्य अर्हताएं	क्या सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विनिर्धारित आयु और शैक्षणिक अर्हताएं, प्रोन्नत व्यक्तियों के मामले में भी लागू होंगी	परीवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो तो
(7)	(8)	(9)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

भर्ती की विधि पद्धति अथवा पदोन्नति द्वारा अर्थात् पदोन्नति द्वारा अर्थात् प्रतिनियुक्ति/आमेलन तथा विभिन्न तरीकों से भरी जाने वाली रिक्तियों का प्रतिशत	पदोन्नति से भर्ती होने अर्थात् पदोन्नति द्वारा अथवा प्रतिनियुक्ति/आमेलन की दशा में वे ग्रेड जिनसे यह पदोन्नति अथवा प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया गया है
(10)	(11)
प्रोन्नति द्वारा	ऐसे सहायक कमांडेंट (अनुसचिवीय) जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स में स्तर - 10 (56100 - 177500 रु.) की श्रेणी में पांच वर्ष की नियमित सेवा पूरी की है परन्तु चिकित्सा श्रेणी शेप -1 और महानिदेशक, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल द्वारा यथाविहित प्रोन्नति पाठ्यक्रम या प्रशिक्षण समय-समय पर पूरा किया हो। टिप्पण : जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जायेगा परन्तु यह तब जबकि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे के अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो, और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति विद्यमान है, तो उसकी क्या संरचना है	भर्ती करने के लिए, किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(12)	(13)
समूह 'क' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे:— - महानिदेशक या अपर महानिदेशक, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल - अध्यक्ष - महानिरीक्षक, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल - सदस्य - उप महानिरीक्षक, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल - सदस्य - निदेशक या उप सचिव, गृह मंत्रालय - सदस्य	लागू नहीं होता।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सहायक कमांडेंट (अनुसचिवीय)	318* (2017) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा समूह 'क' राजपत्रित अनुसचिवीय योद्धक	स्तर - 10 (रु. 56100 - 177500)	चयन।	लागू नहीं होता।

(7)	(8)	(9)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	2 वर्ष

(10)	(11)
प्रोन्नति द्वारा	ऐसे निरीक्षक (अनुसचिवीय) जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स के स्तर 7 (रु. 44900 - 142400) में 3 वर्ष की नियमित सेवा पूरी की हो और उनकी चिकित्सा श्रेणी शेप-1 हो तथा महानिदेशक, के.रि.पु. बल द्वारा समय-समय पर निर्धारित किया गया प्रोन्नति पाठ्यक्रम या प्रशिक्षण पूरा कर लिया हो। टिप्पण : जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जायेगा परन्तु यह तब जबकि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे के अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो, और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।

(12)	(13)
समूह 'क' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे:— - महानिदेशक या अपर महानिदेशक, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल - अध्यक्ष - महानिरीक्षक, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल - सदस्य - उप महानिरीक्षक, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल - सदस्य - निदेशक या उप सचिव, गृह मंत्रालय - सदस्य समूह 'क' विभागीय पुष्टि समिति (परीवीक्षा अवधि पूर्ण करने पर पुष्टि के लिए) में निम्न होंगे:— - महानिदेशक या अपर महानिदेशक, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल - अध्यक्ष - महानिरीक्षक, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल - सदस्य - उप महानिरीक्षक, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल - सदस्य - निदेशक या उप सचिव, गृह मंत्रालय - सदस्य	लागू नहीं होता।

[फा. सं. आर. IX-1/2017-अनु.-डीए-3]

आर. बी. एस. नेगी, उप सचिव (कार्मिक)

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

New Delhi, the 3rd August, 2017

G.S.R. 247.— In exercise of the powers conferred by section 18 of Central Reserve Police Force Act, 1949 (66 of 1949), the Central Government hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the posts of Deputy Commandant (Ministerial) and Assistant Commandant (Ministerial), in the Central Reserve Police Force, in the Ministry of Home Affairs, namely :—

1. **Short title and commencement.—**(1) These rules may be called the Central Reserve Police Force, Deputy Commandant (Ministerial) and Assistant Commandant (Ministerial), Recruitment Rules, 2017.

(2) They shall come into force on the date of their publication in Official Gazette.

2. **Number of post, classification and level in pay matrix.—**The number of the posts, their classification and the level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. **Method of recruitment, age-limit, qualifications, etc.—**The method of recruitment, age-limit, qualification and other matters relating to the said posts, shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

4. **Disqualification.**—No person, -

- (a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or
- (b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. **Medical Fitness.**—Notwithstanding any thing contained in these rules, only those persons who are in medical category SHAPE-I, shall be eligible for appointment under the provisions of these rules.6. **Power to relax.**—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.7. **Saving.**—Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Other Backward Classes, Ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.**SCHEDULE**

Name of post	Number of posts	Classification	Level in the pay matrix	Whether selection post or non-selection post
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. Deputy Commandant (Ministerial).	48* (2017) *Subject to variation dependent on workload	General Central Service Group 'A' Gazetted, Ministerial Combatised.	Level-11 (Rs. 67700-208700)	Selection

Age-limit for direct recruits	Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any
(6)	(7)	(8)	(9)
Not applicable	Not applicable	Not applicable	Not applicable

Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or deputation or absorption and percentage of vacancies to be filled by various methods	In case of recruitment by promotion or deputation/absorption, grades from which promotion or deputation or absorption to be made
(10)	(11)
By promotion	Assistant Commandant (Ministerial) in Level-10 (Rs. 56100-177500) in the pay matrix with five years regular service in the grade subject to fulfillment of medical category SHAPE-I and should have undergone promotional course or training as prescribed by Director General, Central Reserve Police Force from time to time. Note : Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors in the respective grade would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade alongwith their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.

If a departmental promotion committee exists, what is its composition	Circumstances in which Union public service commission is to be consulted in making recruitment
(12)	(13)
Group 'A' Departmental Promotion Committee (for promotion) consisting of :— 1. Director General or Additional Director General, Central Reserve Police Force - Chairman 2. Inspector General, Central Reserve Police Force - Member 3. Deputy Inspector General, Central Reserve Police Force - Member 4. Director or Deputy Secretary, Ministry of Home Affairs - Member	Not applicable

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2. Assistant Commandant (Ministerial).	318* (2017) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service Group 'A' Gazetted, Ministerial Combatised.	Level-10 (Rs. 56100-177500).	Selection

(6)	(7)	(8)	(9)
Not applicable	Not applicable	Not applicable	Two years

(10)	(11)
By promotion	Inspector (Ministerial) with three years regular service in level-7 (Rs. 44900-142400) in the pay matrix subject to fulfilment of medical category SHAPE-I and should have undergone promotional course or training as prescribed by Director General, Central Reserve Police Force from time to time. Note : Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors in the respective grade would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.

(12)	(13)
Group 'A' Departmental Promotion Committee (for promotion) consisting of :— 1. Director General or Additional Director General, Central Reserve Police Force - Chairman 2. Inspector General, Central Reserve Police Force - Member 3. Deputy Inspector General, Central Reserve Police Force - Member 4. Director or Deputy Secretary, Ministry of Home Affairs - Member Group 'A' Departmental Confirmation Committee (for confirmation on completion of probation period) consisting of :— 1. Director General or Additional Director General, Central Reserve Police Force - Chairman 2. Inspector General, Central Reserve Police Force - Member 3. Deputy Inspector General, Central Reserve Police Force - Member 4. Director or Deputy Secretary, Ministry of Home Affairs - Member	Not applicable

[F. No. R. IX.1/2017-Min-DA-3]

R. B. S. NEGI, Dy. Secy. (Pers.)

नई दिल्ली, 3 अगस्त, 2017

सा.का.नि. 248—केन्द्रीय सरकार, सशस्त्र सीमा बल अधिनियम, 2007 (2007 का 53) की धारा 155 की उपधारा (2) के खंड (क) और (ग) के साथ पठित उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए सशस्त्र सीमा बल, योधक (संचार समूह 'क' पद) भर्ती नियम, 2013 का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम सशस्त्र सीमा बल योधक (संचार समूह 'क' पद) भर्ती (संशोधन) नियम, 2017 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. सशस्त्र सीमा बल, योधक (संचार समूह 'क' पद) भर्ती नियम, 2013 में,—

(1) नियम 3 में, शब्दों “वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान” दोनों स्थानों पर जहां ये आये हों के स्थान पर “वेतन मैट्रिक्स में स्तर” शब्द रखे जाएंगे ;

(2) अनुसूची में,—

(i) उप महानिरीक्षक (संचार) के पद से संबंधित क्रम संख्याक 1 के सामने,—

(अ) स्तंभ (4) और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :-

“ वेतन मैट्रिक्स में स्तर
(4)
स्तर — 13क
(131100 -216600 रु.) ”

(आ) स्तंभ (11) में,—

(I) “प्रोन्नति” शीर्षक के अधीन टिप्पण-II का लोप किया जाएगा ;

(II) “प्रतिनियुक्ति” शीर्षक के अधीन,—

(i) मद (क) में, शब्दों और अंकों “वेतन बैंड — 4 (37400—67000 रु.) और ग्रेड वेतन 8900 रु.” के स्थान पर “वेतन मैट्रिक्स (131100—216600 रु.) में स्तर 13क” शब्द और अंक रखे जाएंगे ;

(ii) टिप्पण-4 का लोप किया जाएगा ;

(ii) कमांडेंट (संचार) के पद से संबंधित क्रम संख्याक 2 के सामने,—

(अ) स्तंभ (4) के अधीन प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :-

“स्तर-13 (118500-214100 रु.)”

(आ) स्तंभ (11) में,—

(i) “प्रोन्नति” शीर्षक के अधीन टिप्पण-II का लोप किया जाएगा;

(II) “प्रतिनियुक्ति” शीर्षक के अधीन,—

(i) मद (क) में, शब्दों और अंकों “वेतन बैंड-4 (37400—67000 रु.) और ग्रेड वेतन 8700 रु.” के स्थान पर “वेतन मैट्रिक्स (118500—214100 रु.) में स्तर- 13” शब्द और अंक रखे जाएंगे ;

(ii) टिप्पण-4 का लोप किया जाएगा ;

(iii) उप कमांडेंट (संचार) के पद से संबंधित क्रम संख्याक 3 के सामने,—

(अ) स्तंभ (4), के अधीन प्रविष्टियों, के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियां रखी जाएगी, अर्थात :—

“स्तर -11 (67700-208700/-)”

(आ) स्तंभ (11) में,—

(I) “प्रोन्नति” शीर्षक के अधीन टिप्पण-3 का लोप किया जाएगा ;

(II) “प्रतिनियुक्ति” शीर्षक के अधीन,—

(i) मद (क) में, शब्दों और अंकों “वेतन बैंड- 3 (15600—39100 रु.) और ग्रेड वेतन 6600 रु.” के स्थान पर “वेतन मैट्रिक्स (67700—208700 रु.) में स्तर-11” शब्द और अंक रखे जाएंगे ;

(ii) टिप्पण -4 का लोप किया जाएगा ;

(iv) सहायक कमांडेंट (संचार) के पद से संबंधित क्रम संख्याक 4 के सामने,—

(अ) स्तंभ (4), के अधीन प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात :—

“स्तर -10 (56100-177500 रु.)”

(आ) स्तंभ (11) में,—

(I) “प्रोन्नति” शीर्षक के अधीन टिप्पण-2 का लोप किया जाएगा ;

(II) “प्रतिनियुक्ति” शीर्षक के अधीन,—

(i) शब्दों और अंकों “वेतन बैंड - 3 (15600—39100 रु.) और ग्रेड वेतन 5400 रु.” के स्थान पर “वेतन मैट्रिक्स (56100—177500/-) में स्तर- 10” शब्द और अंक रखे जाएंगे ;

(ii) टिप्पण -4 का लोप किया जाएगा ।

[फा. सं. 17/5/एसएसबी/सीएससी/2016/एसएफएस]

आर. बी. एस. नेगी, उप सचिव

टिप्पण :—मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में अधिसूचना संख्याक सा. का. नि. 179 (अ), तारीख 19 मार्च, 2013 द्वारा प्रकाशित किये गए थे ।

New Delhi, the 3rd August, 2017

G.S.R. 248.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) read with clause (a) and (c) of sub-section (2) of section 155 of the Sashastra Seema Bal Act, 2007 (53 of 2007), the Central Government hereby makes the following rules to amend the Sashastra Seema Bal Combatised (Communication Group 'A' posts) Recruitment Rules, 2013, namely:—

1. (1) These rules may be called the Sashastra Seema Bal, Combatised (Communication Group 'A' posts) Recruitment (Amendment) Rules, 2017.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Sashastra Seema Bal Combatised (Communication Group 'A' posts) Recruitment Rules, 2013

(a) in rule 3, for the words "pay band and Grade Pay or Pay Scale" at both the places, the words "level in the pay matrix" shall be substituted;

(b) in the Schedule,-

(i) against serial number 1 relating to the post of Deputy Inspector General (Communication),-

(A) for column (4) and the entries relating thereto the following shall be substituted, namely :-

"Level in the pay matrix
(4)
Level-13 A (Rs.131100-216600/-)"

(B) In column (11),-

(I) under heading "Promotion", Note 2 shall be omitted.

(II) under heading "Deputation",-

(i) in item (a), for the words and figures "Pay Band-4 (Rs.37400-67000) plus Grade Pay Rs.8900" the words and figures "Level-13 A in the pay matrix (Rs.131100-216600/-)" shall be substituted.

(ii) Note 4 shall be omitted.

(ii) against serial number 2 relating to the post of Commandant (Communication),-

(A) for the entries under column (4), the following entries shall be substituted, namely :-

"Level-13 (Rs.118500-214100/-)"

(B) in column (11),-

(I) under heading "Promotion", Note 2 shall be omitted.

(II) under heading "Deputation",-

(i) in item (a), for the words and figures "pay band-4 (Rs.37400-67000) plus grade pay of Rs.8700/-", the words and figures "Level-13 in the pay matrix (Rs.118500-214100/-)" shall be substituted;

(ii) Note-4 shall be omitted.

(iii) against serial number 3 relating to the post of Deputy Commandant (Communication),-

(A) for the entries under column (4), the following entries shall be substituted, namely :-

"Level-11 (Rs.67700-208700/-)"

(B) in column (11),-

(I) under heading "Promotion", Note 3 shall be omitted.

(II) under heading "Deputation",-

(i) in item (a), for the words and figures "pay band-3 (Rs.15600-39100) plus grade pay of Rs. 6600/-", the words and figures "Level-11 in the pay matrix (Rs.67700-208700/-)" shall be substituted;

(ii) Note-4 shall be omitted.

(iv) against serial number 4 relating to the post of Assistant Commandant (Communication),-

(A) for the entries under column (4), the following entries shall be substituted, namely :-

"Level-10 (Rs.56100-177500/-)"

(B) in column (11),-

(I) under heading "Promotion", Note 2 shall be omitted.

(II) under heading "Deputation",-

(i) for the words and figures "Pay Band-3 (Rs.15600-39100) plus Grade Pay of Rs. 5400/-", the words and figures "Level-10 in the pay matrix (Rs.56100-177500/-)" shall be substituted;

(ii) Note-4 shall be omitted.

[F. No. 17/5/SSB/CSC/2016/SFS]

R. B. S. NEGI, Dy. Secy.

Note : The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-section (i) vide notification number G.S.R. 179 (E) dated 19th March, 2013.

नई दिल्ली, 7 अगस्त, 2017

सा.का.नि. 249.—केन्द्रीय सरकार, सशस्त्र सीमा बल अधिनियम, 2007 (2007 का 53) की धारा 155 की उपधारा (2) के खंड (क) और (ग) के साथ पठित उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए सशस्त्र सीमा बल में जज अटर्नी जनरल (उप —महानिरीक्षक), अपर जज अटर्नी जनरल (कमांडेंट), उप जज अटर्नी जनरल (उप कमांडेंट) और जज अटर्नी (सहायक कमांडेंट) भर्ती नियम, 2012 का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम सशस्त्र सीमा बल जज अटर्नी जनरल (उप —महानिरीक्षक), अपर जज अटर्नी जनरल (कमांडेंट), उप जज अटर्नी जनरल (उप कमांडेंट) और जज अटर्नी (सहायक कमांडेंट) भर्ती नियम, (संशोधन) नियम, 2017 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. सशस्त्र सीमा बल में जज अटर्नी जनरल (उप —महानिरीक्षक), अपर जज अटर्नी जनरल (कमांडेंट), उप जज अटर्नी जनरल (उप कमांडेंट) और जज अटर्नी (सहायक कमांडेंट) भर्ती नियम, 2012 में,—

(क) नियम 2 में, शब्दों “वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान” के स्थानों पर, दोनों जगह “वेतन मैट्रिक्स में स्तर” शब्द रखे जाएंगे ;

(ख) अनुसूची में,—

(i) जज अटर्नी जनरल (उप —महानिरीक्षक) के पद से संबंधित क्रम संख्याक 1 के सामने,—

(अ) स्तंभ (4) और उससे संबंधित प्रविष्टियों, के स्थान पर निम्नलिखित रखी जाएंगी , अर्थात् :-

“वेतन मैट्रिक्स में स्तर
(4)
स्तर — 13(क) (131100—216600 रु.) ” ;

(आ) स्तंभ (11) में,—

(I) “प्रोन्नति” शीर्षक के अधीन टिप्पण-2 का लोप किया जाएगा ;

(II) “प्रतिनियुक्ति या आमेलन” शीर्षक के अधीन,—

- (i) मद (i) और मद (ii) में, शब्दों और अंकों “वेतन बैंड — 4 (37400—67000 रु.) और ग्रेड वेतन 8900 रु.” के स्थान पर “वेतन मैट्रिक्स (131100—216600 रु.) में स्तर -13 क” शब्द और अंक रखे जाएंगे ;
- (ii) मद (iii) में, शब्दों और अंकों “वेतन बैंड — 4 (37400—67000 रु.) और ग्रेड वेतन 8700 रु.” के स्थान पर “वेतन मैट्रिक्स (118500—214100 रु.) में स्तर -13” शब्द और अंक रखे जाएंगे ;
- (iii) टिप्पण -4 का लोप किया जाएगा ;

(ii) अपर जज अटर्नी जनरल (कमांडेंट) के पद से संबंधित क्रम संख्याक 2 के सामने,—

(अ) स्तंभ (4) के अधीन प्रविष्टियों, के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात :—

“स्तर -13 (118500-214100 रु.)”;

(आ) स्तंभ (11) में,—

(I) “प्रोन्नति” शीर्षक के अधीन टिप्पण-2 का लोप किया जाएगा;

(II) “प्रतिनियुक्ति या आमेलन” शीर्षक के अधीन,—

- (i) मद (i) और मद (ii) में, शब्दों और अंकों “वेतन बैंड — 4 (37400—67000 रु.) और ग्रेड वेतन 8700 रु.” के स्थान पर “वेतन मैट्रिक्स (118500—214100 रु.) में स्तर -13” शब्द और अंक रखे जाएंगे;
- (ii) मद (iii) में, शब्दों और अंकों “वेतन बैंड — 3 (15600—39100 रु.) और ग्रेड वेतन 6600 रु” के स्थान पर “वेतन मैट्रिक्स (67700—208700 रु.) में स्तर 11” शब्द और अंक रखे जाएंगे ;

(iii) टिप्पण —4 का लोप किया जाएगा ;

(iii) उप जज अटर्नी जनरल (उप कमांडेंट) के पद से संबंधित क्रम संख्याक 3 के सामने,—

(अ) स्तंभ (4) के अधीन प्रविष्टियों, के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात :—

“स्तर -11 (67700-208700 रु.)”;

(आ) स्तंभ (11) में,—

(I) “प्रोन्नति” शीर्षक के अधीन टिप्पण-2 का लोप किया जाएगा ;

(II) “प्रतिनियुक्ति या आमेलन” शीर्षक के अधीन ,—

- (i) मद (i) और मद (ii) में, शब्दों और अंकों “वेतन बैंड – 3 (15600–39100 रु.) और ग्रेड वेतन 6600 रु.” के स्थान पर “वेतन मैट्रिक्स (67700–208700 रु.) में स्तर-11” शब्द और अंक रखे जाएंगे ;
- (ii) मद (iii) में, शब्दों और अंकों “वेतन बैंड – 3 (15600–39100 रु.) और ग्रेड वेतन 5400 रु.” के स्थान पर “वेतन मैट्रिक्स (56100–177500 रु.) में स्तर -10” शब्द और अंक रखे जाएंगे ;
- (iii) टिप्पण –4 का लोप किया जाएगा ;
- (iv) जज अटर्नी (सहायक कमांडेंट) के पद से संबंधित क्रम संख्याक 4 के सामने, स्तंभ (4) के अधीन प्रविष्टियों, के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात :—

“स्तर -10 (56100-177500 रु.)”.

[फा. सं. 22/1/एसएसबी/सीएससी/बीएन/जेएजी/2016/एसएफएस]

आर. बी. एस. नेगी, उप सचिव

टिप्पण :—मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में अधिसूचना संख्याक सा. का. नि. 104 (अ), तारीख 23 फरवरी, 2012 द्वारा प्रकाशित किये गए थे और अधिसूचना संख्याक सा.का. नि. 452(अ), तारीख 4 जून, 2015 द्वारा पश्चातवर्ती संशोधन किया गया था।

New Delhi, the 7th August, 2017

G.S.R. 249.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) read with clause (a) and (c) of sub-section (2) of section 155 of the Sashastra Seema Bal Act, 2007 (53 of 2007), the Central Government hereby makes the following rules to amend the Sashastra Seema Bal Judge Attorney General (Deputy Inspector General), Additional Judge Attorney General (Commandant), Deputy Judge Attorney General (Deputy Commandant) and Judge Attorney (Assistant Commandant) Recruitment Rules, 2012, namely:—

1. (1) These rules may be called the Sashastra Seema Bal, Judge Attorney General (Deputy Inspector General), Additional Judge Attorney General (Commandant), Deputy Judge Attorney General (Deputy Commandant) and Judge Attorney (Assistant Commandant) Recruitment (Amendment) Rules, 2017.
- (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
2. In the Sashastra Seema Bal Judge Attorney General (Deputy Inspector General), Additional Judge Attorney General (Commandant), Deputy Judge Attorney General (Deputy Commandant) and Judge Attorney (Assistant Commandant) Recruitment Rules, 2012,-
 - (a) in rule 2, for the words "pay band and grade pay or pay scale" at both the places, the words "level in the pay matrix" shall be substituted;
 - (b) in the Schedule,-
 - (i) against serial number relating to the post of Judge Attorney General (Deputy Inspector General),-
 - (A) for column (4) and the entries relating thereto the following shall be substituted namely :-

"Level in the pay matrix"
(4)
Level - 13 A (Rs.131100-216600/-)";

(B) In column (11),-

(I) under heading "Promotion", Note 2 shall be omitted;

(II) under heading "Deputation/absorption",-

- (i) in item (i) and (ii), for the words and figures "Pay Band-4 (Rs.37400-67000) with grade pay of Rs.8900" the words and figures "Level-13A in the pay matrix (Rs.131100-216600/-)" shall be substituted;
- (ii) in item (iii), for the words and figures "Pay Band-4 (Rs.37400-67000) with grade pay of Rs.8700" the words and figures "Level-13 in the pay matrix (Rs.118500-214100/-)" shall be substituted;
- (iii) Note 4 shall be omitted.

(ii) against serial number 2 relating to the post of Additional Judge Attorney General (Commandant),-

(A) for the entries under column (4), the following entries shall be substituted, namely :-

"Level-13 (Rs.118500-214100/-)";

(B) in column (11),-

(I) under heading "Promotion, Note 2 shall be omitted;

(II) under heading "Deputation/absorption",-

- (i) in item (i) and (ii), for the words and figures "Pay Band-4 (Rs.37400-67000) with grade pay of Rs.8700" the words and figures "Level-13 in the pay matrix (Rs.118500-214100/-)" shall be substituted;
- (ii) in item (iii), for the words and figures "Pay Band-3 (Rs.15600-39100) with grade pay of Rs.6600" the words and figures "Level-11 in the pay matrix (Rs.67700-208700/-)" shall be substituted;
- (iii) Note 4 shall be omitted;

(iii) against serial number 3 relating to the post of Deputy Judge Attorney General (Deputy Commandant),-

(A) for the entries under column (4), the following entries shall be substituted, namely :-

"Level-11 (Rs.67700-208700/-)";

(B) in column (11),-

(I) under heading "Promotion, Note 2 shall be omitted;

(II) under heading "Deputation/absorption",-

- (i) in item (i) and (ii), for the words and figures "Pay Band-3 (Rs.15600-39100) with grade pay Rs.6600" the words and figures "Level-11 in the pay matrix (Rs.67700-208700/-)" shall be substituted.

- (ii) in item (iii), for the words and figures "Pay Band-3 (Rs.15600-39100) with grade pay of Rs.5400" the words and figures "Level-10 in the pay matrix (Rs.56100-177500)/-" shall be substituted;
- (iii) Note 4 shall be omitted;
- (iv) against serial number 4 relating to the post of Judge Attorney (Assistant Commandant), for the entries under column (4), the following entries shall be substituted, namely :-
- "Level-10 (Rs.56100-177500/-)";

[F. No. 22/1/SSB/CSC/Bn./JAG/2016/SFS]

R. B. S NEGI, Dy. Secy.

Note.—The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, sub-section (i) vide notification number G.S.R. 104 (E) dated 23rd February, 2012 and subsequently amended vide notification number G.S.R 452 (E) dated 4th June, 2015.

वित्त मंत्रालय

(व्यय विभाग)

नई दिल्ली, 4 अगस्त, 2017

सा.का.नि. 250.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 148 के खंड (5) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारतीय लेखापरीक्षा और लेखा विभाग (आशुलिपिक श्रेणी-2) भर्ती नियम, 2003 तथा भारतीय लेखा और लेखापरीक्षा विभाग (आशुलिपिक श्रेणी-1) भर्ती नियम, 2004 को, उन बातों के सिवाय अधिकांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है, या करने का लोप किया गया है, भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक के साथ परामर्श करके, भारतीय लेखापरीक्षा और लेखा विभाग के क्षेत्रीय कार्यालयों में आशुलिपिक श्रेणी-1 के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम भारतीय लेखापरीक्षा और लेखा विभाग, (आशुलिपिक श्रेणी-1) भर्ती नियम, 2017 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. पदों की संख्या, वर्गीकरण, वेतन मैट्रिक्स में स्तर.—पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और उससे संलग्न वेतन मैट्रिक्स में स्तर वह होगा, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

3. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं आदि.—उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. निरर्हता.—वह व्यक्ति,-

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित हैं, विवाह किया है; या विवाह की संविदा की है; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है; या विवाह की संविदा की है,

उक्त पदों में से किसी पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा:

परन्तु यदि भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक को यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगा।

5. शिथिल करने की शक्ति.—जहां भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगा।

6. व्यावृत्ति.—इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए भारत के लेखा और लेखापरीक्षा विभाग में नियोजित व्यक्तियों पर लागू होने वाले आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पद संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	चयन पद अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
आशुलिपिक श्रेणी- 1	*467 (2017) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ख' अराजपत्रित, अनुसचिवीय।	स्तर-6 (35400-112400/-)	चयन	30 वर्ष से अधिक नहीं टिप्पण: 1 (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए पाँच वर्ष तक शिथिल की जा सकती है।) टिप्पण: 2 आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी। (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहोल और स्पीति जिले तथा चम्बा-जिले के पांगी उप-खंड, अंडमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।)

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति भर्ती सीधी होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता
(7)	(8)	(9)	(10)
आवश्यक: (i) मान्यताप्राप्त बोर्ड या विश्वविद्यालय से 12वीं कक्षा पास। (ii) कौशल परीक्षण मानक श्रुतलेख: 100 शब्द प्रति मिनट की दर पर 10 मिनट; और (iii) अनुलिपि: कंप्यूटर पर 40 मिनट (अंग्रेजी) 55 मिनट(हिन्दी)	नहीं।	दो वर्ष।	50 प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा, जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है, द्वारा; 50 प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) द्वारा।

प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा।

(11)

प्रोन्नति:

वेतन मैट्रिक्स (25500-81100/-) में स्तर-4 में के ऐसे आशुलिपिक श्रेणी-2 जिन्होंने उस श्रेणी में दस वर्ष की नियमित सेवा की है।

टिप्पण: 1 जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक/पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक/पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।

प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है):

केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकारों या संघ राज्यक्षेत्र प्रशासनों या विश्वविद्यालयों या मान्यताप्राप्त अनुसंधान संस्थाओं या पब्लिक सेक्टर उपक्रमों या अर्धसरकारी या कानूनी अथवा स्वायत्त संगठनों के अधीन ऐसे अधिकारी-

(क) (i) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किया हुआ है; या

(ii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स (25500-81100/-) में स्तर-4 या समतुल्य में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् दस वर्ष नियमित सेवा की हो।

टिप्पण: 1 पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में है, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार, प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे।

टिप्पण: 2 प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्त की अवधि है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्त पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(12)	(13)
क. समूह 'ख' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए):— - महानिदेशक या प्रधान महालेखाकार या महालेखाकार अथवा प्रधान निदेशक की पंक्ति का काडर नियंत्रक अधिकारी - अध्यक्ष - ज्येष्ठ उप-महालेखाकार या निदेशक या उप-महालेखाकार अथवा प्रशासन का भारसाधक उपनिदेशक - सदस्य - ज्येष्ठ उप-महालेखाकार या निदेशक या उप-महालेखाकार अथवा उपनिदेशक - सदस्य ख. समूह 'ख' विभागीय पुष्टि समिति (पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए):— - महानिदेशक या प्रधान महालेखाकार या महालेखाकार अथवा प्रधान निदेशक की पंक्ति का काडर नियंत्रक अधिकारी - अध्यक्ष - ज्येष्ठ उप-महालेखाकार या निदेशक या उप-महालेखाकार अथवा प्रशासन का भारसाधक उप-निदेशक - सदस्य - ज्येष्ठ उप-महालेखाकार या निदेशक या उप-महालेखाकार अथवा उपनिदेशक - सदस्य	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक नहीं है।

[फा. सं. ए-12018/02/2014-ई.जी.]

निर्मला देव, उप सचिव (ई. जी.)

MINISTRY OF FINANCE**(Department of Expenditure)**

New Delhi, the 4th August, 2017

G.S.R. 250.—In exercise of the powers conferred by clause (5) of article 148 of the Constitution and in supersession of the Indian Audit and Accounts Department (Stenographer Grade II) Recruitment Rules, 2003 and Indian Audit and Accounts Department (Stenographer Grade I) Recruitment Rules, 2004, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President, after consultation with the Comptroller and Auditor General of India, hereby makes the following rules to regulating the method of recruitment to the post of Stenographer Grade I in the field offices of Indian Audit and Accounts Department namely:-

1. **Short title and commencement.**—(1) These rules may be called the Indian Audit and Accounts Department (Stenographer Grade I) Recruitment Rules, 2017.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Number of posts, classification and level in the pay matrix.**—The number of posts, its classification and level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. **Method of recruitment, age-limit and qualifications etc.**—The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in columns (5) to (13) of the Schedule.

4. **Disqualification.**—No person,-

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said posts:

Provided that the Comptroller and Auditor General of India may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. **Power to relax.**—Where the Comptroller and Auditor General of India is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, he may, by order and for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. **Saving.**—Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, other Backward Classes, Ex-servicemen and any other special categories of persons, in accordance with the orders issued by the Central Government of India from time to time in this regard as applicable to persons employed in the Indian Audit and Accounts Department.

SCHEDULE

Name of Post	Number of Posts	Classification	Level in the pay matrix
(1)	(2)	(3)	(4)
Stenographer Grade I.	* 467 (2017) * subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'B' Non-Gazetted, Ministerial.	Level-6 (Rs.35400-112400/-)

Whether Selection Post or Non-Selection Post.	Age-limit for direct recruits.	Educational and other qualifications required for direct recruits.	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.
(5)	(6)	(7)	(8)
Selection	Not exceeding 30 years. Note 1: (Relaxable for Government servants up to five	Essential: (i) 12 th Class pass from a recognised Board or	No.

	years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government) Note 2: The crucial date for determining the age-limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub-Division of Chamba District of Himanchal Pradesh, Union Territory of Andaman and Nicobar Islands or Lakshadweep)	University; (ii) Skill Test Norms Dictation: 10 minutes @ 100 words per minute; and (iii) Transcription: 40 minutes (English), 55 minutes (Hindi) on Computers.	
--	---	--	--

Period of probation, if any.	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation or absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods.	In case of recruitment by promotion or deputation or absorption, grades from which promotion or deputation or absorption to be made.
(9)	(10)	(11)
Two years	50% by promotion failing which by deputation including short term contract, 50% by direct recruitment failing which by deputation (including short term contract).	Promotion: Stenographer Grade II in Level-4 (Rs.25500-81100/-) in the pay matrix with ten years regular service in the grade. Note : Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their senior shall also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service. Deputation (including short term contract): Officers holding the Stenographers' posts under the Central or State Government or Union Territory or Universities or Recognised Research Institutions or Public Sector Undertakings or Semi-Govt. or Statutory or Autonomous Organisations: (a) (i) holding analogous post on regular basis in the parent cadre or department; or (ii) with ten years regular service rendered after appointment thereto on a regular basis in Level 4 (Rs.25500-81100/-) in the pay matrix or equivalent in the parent cadre or department. Note 1: The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, the deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion. Note 2: Period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some

		other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years. The Maximum age-limit for appointment by deputation shall be 'Not exceeding fifty six years' as on the closing date of receipt of applications.
--	--	---

If Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.
(12)	(13)
A. Group ‘B’ Departmental Promotion Committee (for considering promotion:— 1. Cadre Controlling Officer in the rank of Director General or Principal Accountant General or Accountant General or Principal Director - Chairperson 2. Senior Deputy Accountant General or Director or Deputy Accountant General or Deputy Director in-charge of Administration -Member 3. Senior Deputy Accountant General or Director or Deputy Accountant General or Deputy Director -Member	Consultation with Union Public Service Commission not necessary.
B. Group ‘B’ Departmental Confirmation Committee (For considering confirmation):— Cadre Controlling Officer in the rank of Director General or Principal Accountant General or Accountant General or Principal Director - Chairperson	
1. Senior Deputy Accountant General or Director or Deputy Accountant General or Deputy Director in-charge of Administration -Member	
2. Senior Deputy Accountant General or Director or Deputy Accountant General or Deputy Director -Member	

[F. No. A-12018/02/2014-EG]
NIRMALA DEV, Dy. Secy. (E.G.)



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 336]

नई दिल्ली, मंगलवार, मई 2, 2017/वैशाख 12, 1939

No. 336]

NEW DELHI, TUESDAY, MAY 2, 2017/ VAISAKHA 12, 1939

गृह मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 24 अप्रैल, 2017

सा.का.नि.426(अ).—केंद्रीय सरकार, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल अधिनियम, 1949 (1949 का 66) की धारा 18 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए गृह मंत्रालय, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल में उप कमांडेंट (प्रधान निजी सचिव) तथा सहायक कमांडेंट (निजी सचिव) के पदों की भर्ती पद्धति को विनियमित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ. -

- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल, उप कमांडेंट (प्रधान निजी सचिव) तथा सहायक कमांडेंट (निजी सचिव) समूह 'क' पद भर्ती नियम (3) 2017 है।
- (2) ये, राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. पदों की संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स का स्तर.— पद की संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स का स्तर वे होंगे, जो कि इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के कॉलम (2) से कॉलम (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

3. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं आदि.— पदों से संबंधित भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और अन्य बातें वही होंगी जो कि अनुसूची के कॉलम (5) से कॉलम (13) में विनिर्दिष्ट किए गए हैं।

4. निरर्हता.— वह व्यक्ति, -

- (क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, से विवाह किया है, या
 - (ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,
- उक्त पद पर नियुक्त का पात्र नहीं होगा।

परन्तु यदि केंद्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह उस व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. चिकित्सा स्वस्थता.— इन नियमों के अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी केवल वे व्यक्ति जो चिकित्सा श्रेणी शेप-1 में हैं, वे इन नियमों के उपबंधों के अधीन नियुक्ति के पात्र होंगे।

6. **शिथिल करने की शक्ति.**— जहां केंद्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समाचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी भी उपबन्ध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों के संबंध में, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

7. **व्यावृत्ति.**— इन नियमों की कोई भी बात ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केंद्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निर्गत आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपलब्ध कराना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	क्या चयन अथवा अचयन पद हैं	सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
उप कमांडेंट (प्रधान निजी सचिव)	09* (2017) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केंद्रीय सेवा समूह 'क' राजपत्रित अनुसचिवीय योद्धक	स्तर - 11 (रु. 67700-208700)	चयनित	लागू नहीं होता

सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों हेतु अपेक्षित शैक्षणिक और अन्य अर्हताएं	क्या सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विनिर्धारित आयु और शैक्षणिक अर्हताएं, प्रोन्नत व्यक्तियों के मामले में भी लागू होंगी	परीवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो तो	भर्ती की विधि पद्धति अथवा पदोन्नति द्वारा अर्थात् पदोन्नति द्वारा अर्थात् प्रतिनियुक्ति/ आमेसन तथा विभिन्न तरीकों से भरी जाने वाली रिक्तियों का प्रतिशत:-
(7)	(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता	प्रोन्नति द्वारा

पदोन्नति से भर्ती होने अर्थात् पदोन्नति द्वारा अथवा प्रतिनियुक्ति, आमेसन की दशा में उन कैडर जिनकी यह पदोन्नति जो प्रतिनियुक्ति/आमेसन किया गया है:-	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति विद्यमान है, तो उसकी क्या संरचना है।	भर्ती करने के लिए, किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परमर्श किया जाएगा।
(11)	(12)	(13)
वेतन मैट्रिक्स के स्तर 10 (रु. 56100 - 177500) में 5 वर्ष की नियमित सेवा पूरी करने वाले सहायक कमांडेंट (निजी सचिव) परंतु उनकी चिकित्सा श्रेणी शेप-1 तथा उन्होंने महानिदेशक, केरिपुबल द्वारा समय-समय पर यथा निर्धारित प्रोन्नति कोर्स/प्रशिक्षण पूरा किया हो। टिप्पणी - जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जबकि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परीवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।	समूह 'क' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे:- 1. महानिदेशक या अपर महानिदेशक, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल - अध्यक्ष 2. महानिरीक्षक, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल - सदस्य 3. उप महानिरीक्षक, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल - सदस्य 4. निदेशक या उप सचिव, गृह मंत्रालय - सदस्य	लागू नहीं होता

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सहायक कमांडेंट (निजी सचिव)	51* (2017) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केंद्रीय सेवा समूह 'क' राजपत्रित अनुसचिवीय योद्धक	स्तर – 10 (रु. 56100 - 177500)	चयनित	लागू नहीं होता।

(7)	(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	2 वर्ष।	प्रोन्नति द्वारा

(11)	(12)	(13)
चिकित्सा प्रवर्ग श्रेणी में ऐसे निरीक्षक (आशुलिपिक) जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स के स्तर 7 (रु. 44900 - 142400) में 3 वर्ष की नियमित सेवा पूरी की हो और उनकी चिकित्सा श्रेणी श्रेणी हो तथा महानिदेशक, केरिपुबल द्वारा समय-समय पर निर्धारित किया गया प्रोन्नति पाठ्यक्रम/प्रशिक्षण पूरा कर लिया हो। टिप्पणी – जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जबकि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।	समूह 'क' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे:- 1. महानिदेशक या अपर महानिदेशक, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल - अध्यक्ष 2. महानिरीक्षक, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल - सदस्य 3. उप महानिरीक्षक, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल - सदस्य 4. निदेशक या उप सचिव, गृह मंत्रालय - सदस्य समूह 'क' विभागीय पुष्टि समिति (पुष्टि/परीवीक्षा अवधि पूर्ण करने के लिए) में निम्न होंगे:- 1. महानिदेशक या अपर महानिदेशक, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल - अध्यक्ष 2. महानिरीक्षक, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल - सदस्य 3. उप महानिरीक्षक, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल - सदस्य 4. निदेशक या उप सचिव, गृह मंत्रालय - सदस्य	लागू नहीं होता

[सं. आर. IX-1/2017-मंत्रा.-डीए-3]

प्रशांत निकम, निदेशक (कार्मिक एवं वायु)

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 24th April, 2017

G.S.R. 426 (E).—In exercise of the powers conferred by section 18 of Central Reserve Police Force Act, 1949 (66 of 1949), the Central Government hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the posts of Deputy Commandant (Principal Private Secretary) and Assistant Commandant (Private Secretary), Group “A” Post in the Central Reserve Police Force, in the Ministry of Home Affairs, namely :—

1. **Short title and commencement.**—(1) These rules may be called the Central Reserve Police Force, Deputy Commandant (Principal Private Secretary) and Assistant Commandant (Private Secretary), Group 'A' Post, Recruitment Rules, 2017.
(2) They shall come into force on the date of their publication in Official Gazette.
2. **Number of post, Classification and Level in the Pay Matrix.**—The number of the post, classification and the level in the pay matrix attached thereto, shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.
3. **Method of recruitment, age-limit, qualifications, etc.**—The method of recruitment, age-limit, qualification and other matters relating to the post shall be as specified in columns (5) to (13) of the Schedule.
4. **Disqualification.**—No person, -
(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living ; or
(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,
shall be eligible for appointment to the said post :
Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.
5. **Medical Fitness.**—Notwithstanding any thing contained in these rules, only those persons who are in medical category SHAPE-I, shall be eligible for appointment under the provisions of these rules.
6. **Power to relax.**—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.
7. **Saving.**—Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Casts, the Scheduled Tribes, the Other Backward Classes, ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post	Number of posts	Classification	Level in the Pay Matrix	Whether selection post or non-selection post	Age limit for direct recruits
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Deputy Commandant (Principal Private Secretary)	09* (2017) *Subject to variation dependent on workload	General Central Service Group 'A' Gazetted, Ministerial Combatised	Level-11 (Rs. 67700-208700)	Selection	Not applicable

(7)	(8)	(9)	(10)
Not applicable	Not applicable	Not applicable	By promotion

In case of recruitment by promotion or deputation/absorption, grades from which promotion/deputation/absorption to be made.	If a departmental promotion committee exists, what is its composition	Circumstances in which Union public service commission is to be consulted in making recruitment
(11)	(12)	(13)
Assistant Commandant (Private Secretary) in Level-10 (Rs. 56100-177500/-) of the Pay Matrix with five years regular service in the grade subject to fulfillment of medical category SHAPE-I and should have undergone promotional course/training as prescribed by Director	Group 'A' Departmental Promotion Committee (for promotion) consisting of :- 1. Director General or Additional Director General, Central Reserve Police Force - Chairman 2. Inspector General, Central Reserve Police Force - Member	Not applicable.

General Central Reserve Police Force from time to time. Note. : Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors in the respective grade would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade alongwith their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.	3. Deputy Inspector General, Central Reserve Police Force - Member 4. Director or Deputy Secretary, Ministry of Home Affairs - Member	
--	--	--

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2. Assistant Commandant (Private Secretary)	51* (2017) *Subject to variation dependent on workload	General Central Service Group 'A' Gazetted, Ministerial Combatised	Level-10 (Rs. 56100-177500/-)	Selection	Not applicable

(7)	(8)	(9)	(10)
Not applicable	Not applicable	Two years	By promotion.

(11)	(12)	(13)
Inspector (Stenographer) in the level-7 (Rs. 44900-142400/-) of the Pay Matrix with three years regular service in the grade subject to fulfillment of medical category SHAPE-I and should have undergone promotional course/training as prescribed by Director General Central Reserve Police Force from time to time. Note. : Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors in the respective grade would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade alongwith their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.	Group 'A' Departmental Promotion Committee (for promotion) consisting of :- 1. Director General or Additional Director General, Central Reserve Police Force -Chairman 2. Inspector General, Central Reserve Police Force - Member 3. Deputy Inspector General, Central Reserve Police Force - Member 4. Director or Deputy Secretary, Ministry of Home Affairs - Member Group 'A' Departmental Confirmation Committee (for confirmation/completion of probation period) consisting of :- 1. Director General or Additional Director General, Central Reserve Police Force -Chairman 2. Inspector General, Central Reserve Police Force - Member 3. Deputy Inspector General, Central Reserve Police Force - Member 4. Director or Deputy Secretary, Ministry of Home Affairs - Member	Not applicable.

[No. R. IX.1/2017-Min-DA-3]
PRASHANT NIKAM, Director (Pers. & Air)